

प्रेषक,

जिला मजिस्ट्रेट  
मुजफ्फरनगर।

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट,  
रामपुर

पत्र संख्या: 106 / शस्त्र सहायक / सत्यापन

दिनांक: 6-8-22

विषय:

श्री चन्डवीर सिंह राउत पुत्र श्री भवर सिंह  
निवासी 10/8 गांधी कॉलोनी थाना नईमंडी जिला  
मुजफ्फरनगर के शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या-244 / नईमंडी  
जिला मुजफ्फरनगर के सत्यापन के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय के पत्र संख्या: 2830 दिनांक 27-7-22 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। कार्यालय अभिलेखों के अनुसार वॉछित आख्या निम्नवत् है-

- 1- लाइसेंस का नाम श्री चन्डवीर सिंह राउत
- 2- लाइसेंस के पिता का नाम श्री भवर सिंह
- 3- लाइसेंस का पता 10/8 गांधी कॉलोनी थाना - नईमंडी, मुजफ्फरनगर।
- 4- लाइसेंस संख्या 244 / नईमंडी
- 5- लाइसेंस जारी होने का दिनांक 5-11-1979
- 6- शस्त्र का विवरण  
(अ) प्रकार M.P.3 रायफल  
(ब) बोर - 315  
(स) शस्त्र संख्या 4483
- 7- लाइसेंस पर क्रय करने हेतु अनुमत्य कारतूस  
(अ) वर्ष भर में 50  
(ब) एक बार में 10
- 8- लाइसेंस की वैधता 31-12-2025
- 9- लाइसेंस का सीमा क्षेत्र उत्तर प्रदेश
- 10- यू0आई0एन0 नम्बर 330040004558222015

यदि उक्त लाइसेंस आपके जनपद से लाइसेंस के पुत्र के नाम वृद्ध ट्रांसफर अंतर्गत स्वीकृत किया जाता है तो इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त स्वीकृति के उ कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें, ताकि तदनुसार कार्यालय अभिलेखों में प्रविष्टि की जा

भवदीय,

प्रभारी अधिकारी (शस्त्र)  
कृते जिला मजिस्ट्रेट  
मुजफ्फरनगर।



see attached  
Am